न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
एरिया सिलिंग अपील वाद संख्या–23/2013
विश्वनाथ झा बनाम उमा देवी

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारें में टिप्पणी, तारिख सहित
10/07/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक विश्वनाथ झा, पे0–स्व0 शोभा कांत झा, ग्राम–घोसरामा, थाना+अंचल–हायाघाट, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा एरिया सिलिंग वाद 13/12–13 उमा देवी बनाम विश्वनाथ झा वगैरह में दिनांक–20.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गयी। साथ ही प्रतिपक्षी के सदस्यों को इस कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सूचना के तामिलोपरांत विपक्षी संख्या–01 उमा देवी के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिउत्तर आवेदन दाखिल किया गया। विपक्षी सं0–02 नन्द कुमार सिंह बार–बार सूचना के बावजूद उपस्थित नही हुए अन्ततः उनके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित कर प्रश्नगत वाद की सुनवाई की गयी। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी संख्या–01 उमा देवी प्रश्नगत जमीन के न तो सीमावर्त्ती रैयत है और न ही सह हिस्सेदार है। प्रश्नगत केवाला दिनांक–04.04.2012 के उक्त भूमि की पश्चिम चौहद्दी में धीरेन्द्र प्रसाद सिंह की जमीन अंकित है, जबकि उक्त चौहद्दी में भेण्डर का भी नाम होना चाहिए। यह भी कि उक्त भूमि आवासीय किस्म की है क्योंकि प्रश्नगत जमीन के उत्तर कई घर आस–पास अवस्थित हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन के सीमावर्त्ती रैयत दिनांक–25.08.2012 के केवाला के आधार पर अपीलकर्त्ता स्वयं है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–10.01.2013 को पारित आदेश विधि सम्मत नही रहने के कारण उक्त आदेश को निरस्त करने का अनुरोध करते है। विपक्षी संख्या–01 उमा देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी संख्या–01 का अग्रक्रयाधिकार का दावा प्रश्नगत जमीन पर सीमावर्त्ती रैयत का है। अपीलकर्त्ता द्वारा जानबुझकर अपील वाद आवेदन में अंकित पश्चिम चौहद्दी में विपक्षी प्रथम पक्ष का नाम नहीं दिया गया है, जबकि विपक्षी संख्या–01 दिनांक–13.09.1982 के केवाला, जो सकल देव सिंह, पे0–स्व0 बाबू रामचन्द्र प्रसाद सिंह से प्राप्त होने के आधार पर है में पूर्व से पुराना खेसरा सं0–729 एवं 730 नया खेसरा सं0–808 पर दखलकार है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन की पश्चिम चौहद्दी में धीरेन्द्र सिंह से अधिक भाग में विपक्षी संख्या–01 की जमीन है, जिसके समर्थन में वे अपने केवाला में वर्णित चौहद्दी को दिखाते हुए कहते हैं कि विपक्षी संख्या–02 के चाचा (राम कृपाल सिंह) एवं पिता (महेश्वर सिंह) उत्तर एवं पुरब चौहद्दी में	